(71)

कार्यालय, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक /जि0यो0/न0ख0ह0/2011–12 दिनांक जून 24 , 2011

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2008 दिनांक 24.03.2008 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 311/जि0यो0/स्वी0/न0ख0ह0/14–13/2011–12 दिनांक 31.5.2011 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर जिला योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में विकास खण्ड हल्द्वानी में असफल नलकूप संख्या 88 एच0जी0 ग्राम जगतपुर गौला पार के पुर्ननिर्माण एवं जिला योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में विकास खण्ड हल्द्वानी में ग्राम हिम्मतपुर मल्ला में 01 संख्या नलकूप के निर्माण की परियोजनाओं हेतु निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों की अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी से तकनीकी परीक्षणोंपरान्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0 सं0	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत	वर्ष 2011–12 में जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां	वर्ष 2011–12 में जारी वित्तीय स्वीकृतियां
1.	विकास खण्ड हल्द्वानी में असफल नलकूप संख्या 88 एच0जी0 ग्राम जगतपुर गौला पार के पुर्ननिर्माण की योजना।	₹ 66.47 लाख	₹ 66.47 लाख	₹ 40.00 लाख (₹ चालीस लाख मात्र)
2.	जिला योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में विकास खण्ड हल्द्वानी में ग्राम हिम्मतपुर मल्ला में 01 संख्या नलकूप के निर्माण की योजना।	₹ 85.63 लाख	₹ 85.63 लाख	₹ 46.00 लाख (₹ छियालीस लाख मात्र)

1. जिलाधिकारी नैनीताल सुनिश्चित करेंगे कि योजना में वित्तीय स्वीकृति की धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा में बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति किये बिना आवंटित नहीं की जायेगी।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय, कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
4. धनराशि केवल उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिसके लिए शासन द्वारा धनावंटन किया गया है।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायें।

6. यह कार्य स्वीकृत लागत पर पूर्ण कराये जाय तथा विलम्ब के कारण यदि कोई वृद्धि होती है तो विभाग द्वारा उसे अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय
8. योजना निर्माण के संबंध में शासन से समय–समय पर जारी सभी शर्तों एवं नियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा। अवमुक्त धनराशि को शासन द्वारा निर्दिष्ट मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

(कुणाल शर्मा)
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक 709 /जि0यो0/न0ख0ह0/2011–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. निदेशक राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप निर्माण मण्डल, हल्द्वानी।
12. अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल।
13. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
14. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी।
15. गार्ड फाईल।

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल